

18-10-23

पत्रावली उत्तुत हुई। अभिभाषक अपीलार्थ
 श्री राजकुमार व्यास उपस्थित। अभिभाषक अपीलार्थ
 के प्रकरण में दिहायत पैरवी नही होना (लीड किया
 है)। प्रकरण में अपीलार्थ के नाम से रुक-रुक कर
 आवाज लगाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। मतः
 यह अपील अभिभाषक अपीलार्थ द्वारा दिहायत पैरवी
 नही होने तथा अपीलार्थ के अनुपस्थित रहने के
 कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
 आदेश श्री प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित है।
 पत्रावली षाड तरीक, तकमिल दफतरु हो।
 पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

दिहायत पैरवी
 नही
 2-3-17

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
 बीकानेर